प्रकरण संख्या–15/17

तारीख रजु–22.07.2017

(3)

न्यायालय जिला कलक्क्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

1. छोटेलाल पुत्र धन्नालाल उम्र 70 साल
2. हेमलता पुत्री हजारीलाल उम्र 40 साल

} सभी जातियान ब्राह्ममण (गौड़) निवासीयान खेड़ा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली

– प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्नालाल उम्र 78 साल
2. दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र 45 साल
3. हजारीलाल पुत्र धन्नालाल उम्र 80 साल
4. जमनालाल पुत्र धन्नालाल उम्र 72 साल
5. सिट्टू पुत्र मुरारीलाल उम्र 44 साल
6. गोविन्द पुत्र मुरारीलाल उम्र 40 साल
7. गीता पुत्री मुरारीलाल उम्र 38 साल

} सभी जातियान ब्रा0 कारीगर निवासीयान खेड़ा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली

8. तहसीलदार, तहसील–हिण्डौन, जिला–करौली
9. उप जिला कलक्टर – हिण्डौनसिटी, जिला–करौली

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते ट्रान्सफर करने मुकदमा उनवानी छोटेलाल बनाम लक्ष्मीनारायण वगै., वादपत्र बाबत् इस्तकरारहक व अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा व टी.आई. नं. 39/17 व दावा नंबर 47/17 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौनसिटी अंतर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 11.10.2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रकरण उनवानी छोटेलाल बनाम लक्ष्मीनारायण वगै. मुकदमा नंबर 47/17 न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन की अदालत में दिनांक 01.05.2017 से चल रहा है जिसमें विपक्षी नंबर 1 लगायत 8 की तामील हो चुकी है तथा दावे के साथ दरख्वास्त स्थगन अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट भी पेश हो चुकी है जिसमें स्टे में मुकदमा नंबर 39/2017 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन तथा दावा का मुकदमा नंबर 47/2017 है। दोनों मुकदमात् में तारीख पेशी दिनांक 28.07.2017 नियत है। उपजिला कलक्टर हिण्डौन विपक्षीगण हजारी वगैरहा के राजनीतिक व पैसे के दबाब में है तथा अभी तक जबाव दावा भी विपक्षीगण से नहीं लिया है तथा जबाव दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा लेकर स्टे को खारिज करने पर अदालत मातहत आमादा है। विपक्षीगण ने गांव में खुले में कह दिया है कि हमने उपजिला कलक्टर हिण्डौन को लम्बी रकम दे दी है तथा 28.07.2017 को स्टे को खारिज करा देंगें। हजारी

जिला कलक्टर
करौली

ने आराजी खसरा नंबर 804–805/1296 का 1/5 हिस्सा 9.17 ऐयर का वयनामा लक्ष्मीनारायण के लड़के दिनेश को करा दिया है जबकि मौके पर हमारा हक व हिस्सा है तथा नामान्तकरण खुलवाने पर आमादा है जिस बाबत् स्टे प्रार्थी ने पेश कर रखा है जिसमें विपक्षीगण उपजिला कलक्टर हिण्डौन को घूस देकर स्टे को खारिज कराने पर तुले हैं तथा हमारे स्टे को खारिज कराकर रिकॉर्ड में तब्दीली कराने पर विपक्षीगण तुले हैं। उपजिला कलक्टर हिण्डौन भी जो मुकदमे की ट्रायल कर रहे हैं तथा 10.07.17 व 25.07.17 व अब 28.07.17 तारीखें एकदम नजदीक–नजदीक देकर वादीगण प्रार्थीगण को हैरेशमेण्ट में डाला जा रहा है। दिनांक 25.07.2017 को विपक्षी लक्ष्मीनारायण दिनेश ने हमें ऐलानिया धमकी दी है कि उप जिला कलक्टर हिण्डौन से हमारी सैटिंग पैसे की हो चुकी है। 28.07.17 को स्टे को खारिज कराकर नामान्तकरण खुलवायेंगे तथा कब्जा करेंगे। मारामारी हो जायेगी। एस.डी.ओ. साहब हिण्डौन के यहां से हमें कोई तसल्ली नहीं है तथा एस.डी.ओ. साहब नजदीक तारीखें दे रहे हैं। हमें उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये हमारे उक्त दावा व स्टे पत्रावली को दीगर अदालत में ट्रांसफर कर फैसला कराने में हमें न्याय मिलेगा। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थीगण ने प्रकरण में जबाव पेश कर निवेदन किया है कि सायल ने कतई गलत एवं असत्य कथन किया है। हजारी एक वृद्ध व बीमार 80 वर्षीय व्यक्ति है व एक आम काश्तकार आदमी है और काश्तकारी कर अपना जीवन यापन करता है। किसी प्रकार का कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं है ना ही कुछ पैसे वाला है। सायल का यह कहना कि गांव में खुलेआम उपजिला कलक्टर महोदय को लम्बी रकम देने की बात कतई गलत दर्ज की है व स्टे समाप्त कराने की बात भी कतई गलत दर्ज की है। हजारी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 20.04.2017 को दायरी दावे से पूर्व दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण के हक में किया जाना व कब्जा संभलवाना सही है। बाकी इवारत गलत है। सायल ने गलत दावा कर गलत रूप से नामांतकरण पर एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश जारी करा लिया जो कानूनन अंदर 30 दिन सुनवाई के पश्चात् फैसल करना न्यायालय के लिए आवश्यक है। उपजिला कलक्टर हिण्डौन के न्यायालय में तारीख पेशियां फरीकेन के अभिभाषकों की सहमति से उनकी सहूलियत अनुसार लगाई गई हैं जिससे किसी प्रकार का कोई हैरिसमैण्ट किसी भी पक्षकार को नहीं है। मुकदमे की सुनवाई एकपक्षीय आदेश जारी करने पर अन्दर 30 योम सुनवाई कर निर्णय पारित करना कानूनन आवश्यक है। सायल हजारी जो एक 80 वर्षीय लाचार एवं वृद्ध व्यक्ति है, को इस मुकदमे की आढ़ में तंग व परेशान कर मुकदमे को लम्बा चलाना चाहता है। इसीलिये उसने असत्य कथन कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। दिनेश ने कभी कोई सैटिंग की बात उपजिला कलक्टर हिण्डौन से नहीं की। सारे इल्जाम गलत लगाये गये हैं। उपजिला

जिला कलक्टर
करौली

कलक्टर हिण्डौन पर झूठा इल्जाम लगाकर सायल 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हजारी को तंग व परेशान करने की दृष्टि से व उसके हिस्से की मकानियत व नौहरे को डरा धमका कर हड़पना चाहता है। इसी दृष्टि से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायल एक झगडालू व बेईमान प्रकृति का व्यक्ति है और उसने हजारी की लड़की हेमलता को बरगला कर कतई गलत मुकदमा पेश किया है। हेमलता बैंगलोर रह रही है। प्रार्थी हजारी यहां अकेला निवास कर रहा है और काश्तकारी करने में अब हजारी वृद्धावस्था के कारण असमर्थ है और अपना गुजारा चलाने एवं खुद के खर्च चलाने हेतु घरू खर्च के वास्ते एवं अपनी बीमारियों के इलाज हेतु हजारी ने अपने हिस्से हक की भूमियों का विक्रय किया है और सायल बगैर किसी पैसे के मुझ हजारी के हक हिस्से की भूमि को हड़पना चाहता था। इसीलिये सायल ने यह गलत मुकदमा उपजिला कलक्टर हिण्डौन के समक्ष प्रस्तुत कर एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी कराया है जिसका प्रार्थीगण द्वारा जबाव दिया जा चुका है और जबाव के उपरांत प्रकरण में केवल बहस होकर निर्णय पारित किया जाता है जिसके लिए अंदर 30 योम एक पक्षीय आदेश जारी होने के उपरांत सुनवाई कर पीठासीन अधिकारी को कानूनन निर्णय पारित करना आवश्यक है। उक्त आराजीयात जो प्रकरण में विवादित बताई है, वह हजारी की निजी खातेदारी की भूमि है जिसमें छोटेलाल को दावा पेश करने का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। हजारी की पुत्री वर्तमान में बैंगलोर(कर्नाटक) में अपने बच्चों के साथ मुश्तकिल तौर पर रह रही है व यहां नहीं है। उसके फर्जी हस्ताक्षर करके सायल फर्जी कार्यवाही कर रहा है। ट्रान्सफर किये जाने में मुझ हजारी को सुनवाई के लिए हिण्डौन से बाहर आने जाने में भारी असुविधा व क्षति होगी और वृद्धावस्था के कारण हजारी बाहर आने–जाने में असमर्थ है। हजारी की असमर्थता का नाजायज फायदा उठाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे के साथ खारिज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रकरण उनवानी छोटेलाल बनाम लक्ष्मीनारायण वगै. न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन की अदालत में दिनांक 01.05.2017 से चल रहा है जिसमें विपक्षी नंबर 1 लगायत 8 की तामील हो चुकी है तथा दावे के साथ दरख्वास्त स्थगन अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट भी पेश हो चुकी है जिसमें स्टे में मुकदमा नंबर 39/2017 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन तथा दावा का मुकदमा नंबर 47/2017 है। उपजिला कलक्टर हिण्डौन विपक्षीगण हजारी वगैरहा के राजनीतिक व पैसे के दबाब में है तथा अभी तक जबाव दावा भी विपक्षीगण से नहीं लिया है तथा जबाव दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा लेकर स्टे को खारिज करने पर अदालत मातहत आमादा है। विपक्षीगण ने गांव में खुले में कह दिया है कि हमने उपजिला कलक्टर हिण्डौन को लम्बी रकम दे दी है तथा 28.07.2017 को स्टे को खारिज करा देंगें। हजारी ने आराजी खसरा नंबर 804–805/1296 का 1/5 हिस्सा 9.17 ऐयर का वयनामा लक्ष्मीनारायण के लड़के दिनेश को करा दिया है जबकि मौके पर

जिला कलक्टर
करौली

हमारा हक व हिस्सा है तथा नामान्तकरण खुलवाने पर आमादा है जिस बाबत् स्टे प्रार्थी ने पेश कर रखा है जिसमें विपक्षीगण उपजिला कलक्टर हिण्डौन को घूस देकर स्टे को खारिज कराकर रिकॉर्ड में तब्दीली कराने पर विपक्षीगण तुले हैं। उपजिला कलक्टर हिण्डौन भी जो मुकदमे की ट्रायल कर रहे हैं तथा 10.07.17 व 25.07.17 व अब 28.07.17 तारीखें एकदम नजदीक–नजदीक देकर वादीगण प्रार्थीगण को हैरेशमेण्ट में डाला जा रहा है। दिनांक 25.07.2017 को विपक्षी लक्ष्मीनारायण दिनेश ने हमें ऐलानिया धमकी दी है कि उप जिला कलक्टर हिण्डौन से हमारी सैटिंग पैसे की हो चुकी है। 28.07.17 को स्टे को खारिज कराकर नामान्तकरण खुलवायेंगे तथा कब्जा करेंगे। मारामारी हो जायेगी। एस.डी. ओ. साहब नजदीक तारीखें दे रहे हैं। हमें उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये हमारे उक्त दावा व स्टे पत्रावली को दीगर अदालत में ट्रांसफर कर फैसला कराने में हमें न्याय मिलेगा। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सायल ने कतई गलत एवं असत्य कथन किया है। हजारी एक वृद्ध व बीमार 80 वर्षीय व्यक्ति है व एक आम काश्तकार आदमी है और काश्तकारी कर अपना जीवन यापन करता है। किसी प्रकार का कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं है ना ही कुछ पैसे वाला है। सायल का यह कहना कि गांव में खुलेआम उपजिला कलक्टर महोदय को लम्बी रकम देने की बात कतई गलत दर्ज की है व स्टे समाप्त कराने की बात भी कतई गलत दर्ज की है। हजारी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 20.04.2017 को दायरी दावे से पूर्व दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण के हक में किया जाना व कब्जा संभलवाना सही है। उपजिला कलक्टर हिण्डौन के न्यायालय में तारीख पेशियां फरीकेन के अभिभाषकों की सहमति से उनकी सहूलियत अनुसार लगाई गई हैं जिससे किसी प्रकार का कोई हैरिसमैण्ट किसी भी पक्षकार को नहीं है। दिनेश ने कभी कोई सैटिंग की बात उपजिला कलक्टर हिण्डौन से नहीं की। सारे इल्जाम गलत लगाये गये हैं। उपजिला कलक्टर हिण्डौन पर झूठा इल्जाम लगाकर सायल 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हजारी को तंग व परेशान करने की दृष्टि से व उसके हिस्से की मकानियत व नौहरे को डरा धमका कर हड़पना चाहता है। इसी दृष्टि से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायल एक झगडालू व बेईमान प्रकृति का व्यक्ति है और उसने हजारी की लड़की हेमलता को बरगला कर कतई गलत मुकदमा पेश किया है। प्रार्थी हजारी यहां अकेला निवास कर रहा है और काश्तकारी करने में अब हजारी वृद्धावस्था के कारण असमर्थ है और अपना गुजारा चलाने एवं खुद के खर्च चलाने हेतु घरू खर्च के वास्ते एवं अपनी बीमारियों के इलाज हेतु हजारी ने अपने हिस्से हक की भूमियों का विक्रय किया है सायल ने यह गलत मुकदमा उपजिला कलक्टर हिण्डौन के समक्ष प्रस्तुत कर एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी कराया है जिसका प्रार्थीगण द्वारा जबाव दिया जा चुका है और जबाव के उपरांत प्रकरण में केवल बहस होकर निर्णय पारित किया जाता है जिसके लिए अंदर 30 योम एक पक्षीय आदेश जारी होने के उपरांत सुनवाई कर पीठासीन अधिकारी को कानूनन निर्णय पारित करना

जिला कलेक्टर
करौली

आवश्यक है। उक्त आराजीयात जो प्रकरण में विवादित बताई है, वह हजारी की निजी खातेदारी की भूमि है जिसमें छोटेलाल को दावा पेश करने का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। हजारी की पुत्री वर्तमान में बैंगलोर(कर्नाटक) में अपने बच्चों के साथ मुश्तकिल तौर पर रह रही है व यहां नहीं है। उसके फर्जी हस्ताक्षर करके सायल फर्जी कार्यवाही कर रहा है। ट्रान्सफर किये जाने में मुझ हजारी को सुनवाई के लिए हिण्डौन से बाहर आने जाने में भारी असुविधा व क्षति होगी और वृद्धावस्था के कारण हजारी बाहर आने–जाने में असमर्थ है। हजारी की असमर्थता का नाजायज फायदा उठाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे के साथ खारिज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन पर लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। हजारी जो 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, अकेला रहता है एवं उसने अपने घरेलू खर्चे और बीमारियों का इलाज करवाये जाने के लिए अपने हक की जमीन का वयनामा किया है। एकपक्षीय सुनवाई कर स्थगन दिये जाने के प्रकरण का भी 30 दिवस में निस्तारण किया जाना कानूनन आवश्यक है। अदालत में नजदीक की तारीख दिया जाकर सुनवाई किया जाना यह अदालती प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को केवल देरीना किया जाने के लिए यह प्रार्थना पेश किया जाना प्रतीत होता है। कार्मिक (क–4) विभाग, राजस्थान सरकार की आज्ञा क्रमांक प.1(1)कार्मिक/क–4/2017 जयपुर दिनांक 04.10.2017 के अनुसार उपखण्ड कार्यालय हिण्डौन में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के स्थान पर अन्य उपखण्ड अधिकारी लगाया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमित सुनवाई करके विधि अनुसार प्रकरण का निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली